न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्या:— 88/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
रणूराम पुत्र श्री हरजीराम जाति विश्नोई निवासी लक्ष्मणनगर तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।		तहसीलदार बापिणी

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से :—अधिवक्ता श्री रामाकिशन सियाग।

अप्रार्थी की ओर से:— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक 9-9-2020

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:— प्रार्थी गांव श्री लक्ष्मणनगर का स्थाई निवासी है जिसकी पैतृक भूमि श्री लक्ष्मणनगर के राजस्व ग्राम विष्णुनगर, समराथलनगर, सियागनगर व श्री कृष्णनगर में आई हुई है। जिसमें राजस्व गांव समराथलनगर पटवार हल्का श्रीलक्ष्मणनगर के खसरा नम्बर 1350 रकबा 13.10 बीघा प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 754ए में अवाप्त हो रही है। भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां का नोटिस प्राप्त हो चुका है। प्रार्थी के नाम सभी राजस्व ग्रामों विष्णुनगर, समराथलनगर, सियागनगर व श्री कृष्णनगर की भूमि में राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से राणा, रावणाराम पुत्र हरजीराम दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम रणूराम पुत्र हरजीराम है जबकि प्रार्थी का नाम बैंक खाता डायरी, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर पहचान पत्र, राशन कार्ड में सभी जगह रणूराम पुत्र हरजीराम दर्ज है जो सही है। प्रार्थी अशिक्षित होने से प्रार्थी ने आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम की तरफ ध्यान नही दिया जब श्रीमान् भूमि अवाप्ति अधिकारी का नोटिस प्राप्त होने पर इस गलत नाम का एहसास हुआ। गलत नाम भूल व सहवन सेदर्ज हो गया जो जरिये शुद्धि पत्र शुद्धि किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो राजस्व ग्राम समराथलनगर में स्थित खसरा नम्बर 1350 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा में दर्ज रावणाराम पुत्र हरजीराम की जगह शुद्ध रूप से रणूराम पुत्र हरजीराम दर्ज करने का आदेश फरमावें।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में रावणराम दर्ज है जो गलत है तथा सही नाम रणूराम पुत्र श्री हरजीराम जाति विश्नोई हैं। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1350 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, राजस्व ग्राम समराथलनगर तहसील बापिणी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रावणाराम पुत्र हरजीराम के स्थान पर रणुराम पुत्र हरजीराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 9-9-2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner